Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सुभाष चंद पुत्र जीतराम जाति धिरत चौधरी निवासी हरनोटा तहसील ज्वाला जिला कांगडा (हिमाचल प्रदेश) आदि

बनाम

नानक चन्द पुत्र जीतराम जाति घिरत चौधरी निवासी हरनोटा तहसील ज्वाला जिला कांगडा (हिमाचल प्रदेश) आदि

किस्म मुकदमाः—अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्र0स0:—47/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
10.02.2023	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। बकुलाय फेरीकेन हाजिर। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को दिनांक 14.07.2021 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर अपीलाधीन इंतकाल की जानकारी हुई व दिनांक 15.07.2021 को नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी है। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति जाहिर करते हुए लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद में ऐसा कोई ठोस आधार व कारण नहीं बताया है जिन पर भरोसा किया जा सके। अपीलांट ने हस्तगत अपील 10 वर्ष पश्चात पेश की है। 10 वर्ष का समय अक्षमय अवधि है। इतने समय पश्चात की गई अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जावे तथा अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे। रेस्पोडेंट संख्या 02 पैरोकार राज द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद का कोई जबाव पेश नहीं किया गया तथा ना ही दौराने बहस कोई आपत्ति जाहिर की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जिससे अपीलांट अपना पक्ष नहीं रख पाये है। पत्रावली में उपलब्ध डी.सी. (आर.आर.) राजा का तलाब तहसील फतेहपुर जिला कांगडा (हिमाचल प्रदेश), द्वारा जारी आवंटी जीतराम के वारिस प्रमाण अनुसार अपीलांटस आवंटी जीतराम के विधिक एवं जायज वारिसान है। अपीलांट्स का जैर अपील भूमि में हित निहित है। इसलिए अपीलांटगण को अपने हितों की रक्षा के लिए सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात प्रकरण में गुणावगुण पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि धारा 5 मियाद प्रार्थना अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया है कि अपीलांटस के पिता जीतराम पुत्र मखनराम को बतौर पौंग बांध विस्थापित चक 16 जीडी तहसील घडसाना के पत्थर न. 165/24 के किला न. 1 ता 25 में 6.325 हे0 भूमि कमाण्ड व अनकमाण्ड आवंटित हुई थी। यह भूमि रिकार्ड में रकबा राज दर्ज हो गई थी। आवंटी जीतराम की मृत्यु हो [...] उक्त भूमि को वापिस जीतराम के नाम करवाने एवं सभी वारिसान [...] करवाने एवं खातेदारी प्राप्त करने हेतु हम अपीलांट[...] द्वारा रेस्पोडेंट संख्या [...] को अधिकृत किया गया था। जैर अपील भूमि हमारे संयुक्त कब्जा काश्त [...] संख्या 01 द्वारा कृषि आय से अपीलांट को हिस्सा दिया जाता रहा [...] इस वर्ष रबी की फसल के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 01 से कृषि आय का हिसाब करने की बात की तो रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बताया कि उक्त भूमि मेरे नाम हो चुकी है। तब अपीलांट	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 11:58:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया और अपीलांटस को जैर अपील इंतकाल की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटी के वारिसान की जांच किये बिना ही एक ही वारिस के नाम नाम इंतकाल दर्ज कर दिया। डी.सी. (आर.आर.) राजा का तलाब तहसील फतेहपुर जिला कांगडा (हिमाचल प्रदेश), द्वारा जारी आवंटी जीतराम के वारिस प्रमाण अनुसार अपीलांटस भी आवंटी जीतराम के विधिक एवं जायज वारिसान है। अपीलांट ने एक ही वारिसान के नाम इंतकाल दर्ज कर अहम कूाननी भूल की है। अपीलाधीन इंतकाल एक अवैध इंतकाल है जो शुरू से ही शून्य की परिभाषा में आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घडसाना द्वारा स्वीकृत ग्राम 16 जीडी पटवार हल्का 12 जीडी का इंतकाल संख्या 49 दिनांक 02.07.2010 खारिज किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस कथन किया कि आवंटी जीतराम की मृत्यु उपरांत उक्त भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम से ही बहाल हुई थी व रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम से ही आदेश जारी हुए थे। उक्त आदेश के मुताबिक ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेर अपील इंतकाल दर्ज किया गया है। अपीलांट ने जो अनुतोष मांगा है वह अनुतोष अपील के माध्यम से प्राप्त नहीं करते यह अनुतोष एक निश्चित वाद पत्र के माध्मय से ही प्राप्त किये जा सकते है, जिसमें सारे साक्ष्य, गवाह व दस्तावेजो के आधर पर पूर्ण जांच व साक्ष्य के वाद ही अधिकारों की घोषणा की जा सकती है। इस प्रकार इंतकाल की अपील के माध्यम से एक भूमि जैसे बडे प्रकरण का निर्णय एक इंतकाल की अपील के माध्यम से नहीं किया जा सकता। इंतकाल से अधिकार तय नहीं होते है। अपीलांटगण ने मिलकर ही रेस्पोडेंट संख्या 01 को मुख्त्यार आम नियुक्त करके अपने सारे अधिकार दिये थे। उक्त मुख्त्यारनामा आम आज भी कायम है व उसी मुख्तयारनामा के आधार पर ही मुझ रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम से रकबा बहाल किया गया है। इंतकाल दर्ज करने के लिए मुख्य आधार कब्जा काश्त का होता है। जैर अपील भूमि पर मुझ रेस्पोडेंट संख्या 01 का वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। पानी की पर्ची, गिरदावरियां रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम से ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त जांच पडताल करते हुए समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ही जैर अपील इंतकाल दर्ज किया है जो सही है। अतः अधीनस्थ न्यायलाय का इंतकाल यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जीतराम को आवंटित जैर प्रकरण भूमि को पुनः बहाल करने बाबत रेस्पोडेंट संख्या 01 नाकनराम द्वारा आवेदन करने पर उक्त रकबा वापिस बहाल किया गया। उक्त बहाली आदेश के उपरांत उक्त रकबा जीतराम के समस्त वारिसान के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जीतराम के विधिक वारिसान को छोडते हुए मात्र नानकराम के नाम ही उक्त रकबा का जैर अपील इंतकाल दर्ज कर दिया। उक्त इंतकाल दर्ज करने से पूर्व जीतराम के विधिक वारिसान को सुना जाना भी नही गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण पाये जाने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार घडसाना द्वारा स्वीकृत ग्राम 16 जीडी पटवार हल्का 12 जीडी का इंतकाल संख्या 49 दिनांक 02.07.2010 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि आवंटी जीतराम के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार वारिसान के नाम से नियमानुसार इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। उभय पक्ष दिनांक 02.03.2023 को [illegible] तहसीलदार (भू.अ.) घडसाना के समक्ष पेश होवे। पत्रावली [illegible] शु[illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश खुले न्यायालय में स[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.02.28 11:58:44 IST
Reason: SelfAttested

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner